

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या
187/13

दायरा दिनांक
02.07.2013

अंतिम निर्णय दिनांक
28.05.2019

1 कर्मवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
वादी-

बनाम

- 1 रिसाल सिंह
- 2 सत्यवीर सिंह
- 3 विक्रम सिंह पुत्रान रामचन्द्र
- 4 धर्मकौर पुत्री रामचन्द्र जातियान जाट निवासीयान जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर,
राज0
- 5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर,
राज0
- 6 उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

प्रतिवादीगण-

दावा- तकासमा मय वो हु0 ई0 दवामी

वादी की ओर से श्री सुभाष चन्द शर्मा एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से श्री अशोक चौधरी एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.05.2019 को योगेश कुमार डागुर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

हाल अराजी ख0न0 454/0.21, 880/0.24, 881/0.25, 992/0.22, 1250/0.19, 1587/0.42, 1614/0.49, 1727/811/0.04 हैक्टयर वाके ग्राम जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत पुनः दिनांक 25.06.2018 में प्रस्तुत कुर्रजात प्रस्ताव अनुसार वादी के वाद को उभय पक्ष की सहमति से अंतिम निर्णित किया जाता है एवं उक्तानुसार कुर्रजात प्रस्ताव प्रदर्श-अ अंतिम निर्णय एवं अंतिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उपरोक्त प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव अनुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
मुण्डावर (अलवर) राज0